



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25082021-229207  
CG-DL-W-25082021-229207

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, अगस्त 15 - अगस्त 21, 2021, शनिवार/ श्रावण 24- श्रावण 30, 1943  
No. 28] NEW DELHI, AUGUST 15 - AUGUST 21, 2021, SATURDAY/ SRAVANA 24 - SRAVANA 30, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

**सा.का.नि. 96.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वागत अधिकारी (सचिवालय सुरक्षा संगठन) भर्ती नियम, 2004, को जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, सचिवालय सुरक्षा संगठन में ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सचिवालय सुरक्षा संगठन ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी भर्ती नियम, 2021 है।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय****(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)**

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

**सा.का.नि. 98.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 2004 जहां तक आशुलिपिक श्रेणी - 3 के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में आशुलिपिक श्रेणी - 2 पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, आशुलिपिक श्रेणी - 2 (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी - 2	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500 - 81,100 रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति

				<p>और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण :-</b> आयु - सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।)</p>
--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति :</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) किमी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ii) कौशल परीक्षण सन्नियम : श्रुतलेख : 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट</p> <p>प्रतिलेखन : मैनुअल टाइपराइटर पर 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिंदी) या कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी)।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती</p> <p><b>टिप्पण :-</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी :-</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों।</p>

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष ; (2) उप निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ; (3) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एस एम/02/04/2020]

अनीता धादरा, अवर सचिव

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

## (Department of Science and Technology)

New Delhi, the 18th August, 2021

**G.S.R. 98.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Group “C” and Group “D” posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II, in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Stenographer Grade-II (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.** —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group- 'C', NonGazetted, Ministerial	Level 4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100)	Not applicable	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of General Candidates and upto the age of forty – five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 <sup>th</sup> class pass from a recognised Board. (ii) Skill test norms: <b>Dictation:</b> 10 minutes @ 80 words per minute. <b>Transcription:</b> 65 minutes (English), 75 minutes (Hindi) on manual typewriter or 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on Computer.	Not applicable	Two years	Direct recruitment through Staff Selection Commission.  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government,- (a) holding analogous posts

		on regular basis; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group-‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b> (1) Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman; (2) Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; (3) Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	Not applicable.

[F. No. SM/02/04/2020]

ANITA DHADRA, Under Secy.